न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 34 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 रिछपाल सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपुत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 गोपाल सिंह पुत्र सलसिंह।
2 नन्दसिंह पुत्र सलसिंह।
3 सुभाष सिंह पुत्र सलसिंह।
4 संतोष कंवर पुत्री सलसिंह।
5 आशा कंवर पुत्री सलसिंह।
6 आंधू कंवर पुत्री सलसिंह।
7 लक्ष्मण सिंह पुत्र देवीसिंह।
8 जगदीश सिंह पुत्र देवीसिंह।
9 मोहन सिंह पुत्र देवीसिंह।

10 राजकंवर पत्नी देवीसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी बामलास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 सायर कंवर पुत्री देवीसिंह जाति राजपुत निवासी सदीनसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
12 गुमान कंवर पुत्री देवी सिंह जाति राजपुत निवासी सदीनसर तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
13 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ0 धारा 223 राज0 विरूद्व निर्णय
दिनांक 05.12.2014 न्यायालय सहायक कलक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) उदयपुरवाटी
मुकदमा उनवानी गोपाल सिंह बनाम नन्दसिंह वगैरह
मुकदमा नम्बर 65/2009

उपस्थित

1. श्री राजवीर बुडानियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबर सिंह शेखावत अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–08.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 65/09 में पारित निर्णय दिनांक 05.12.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 7 से 12 के पिता देवीसिंह तथा अन्य के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 874,876, 877 वाके ग्राम बामलास पेश किया विचारण न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण की तामील करवाई विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1,2 व 7 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया एवं अप्रार्थी संख्या 3,4,5 का जवाब बन्द किया अनावेदक संख्या 6 द्वारा जवाब पेश किया गया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि सलसिंह व देवीसिंह के मध्य दोनों की सहमती से भूमि का विभाजन हो गया ए.आर.ओ. के आदेश मिशल संख्या 68/86 निर्णय दिनांक 16.01. 1986 के अनुसार खसरा नम्बर 875 सलसिंह के नाम हो गई तथा खसरा नम्बर 876 व 877 देवीसिंह के नाम हो गई 874 गैर मुमकिन चाह दोनों के नाम दर्ज हो गई इस प्रकार खसरा 876 व 877 देवीसिंह के कब्जे

काश्त में चली आ रही है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टतया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को विवेचित नही किया है अपिलांट का पिता बिमार रहता था इसलिए विचाराधीन निर्णय की जानकारी देवीसिंह की मृत्यु के उपरान्त 06.02.2017 को अपीलांट द्वारा जमाबंदी निकलवाने पर हुई जानकारी से अन्दर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ पेश है अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया है। अपीलांट देवीसिंह के वारिस है अत धारा 96 सी.पी.सी. के आवेदन की आवश्यकता नही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि संवत 2021 पुरानी जमाबंदी रेस्पोडेंट के पिता के नाम से है भू–प्रबंध के दौरान इन्होने प्रार्थना पत्र पेश किया सरंपच ने चैक कर नामान्तकरण दोनों भाईयों नाम कर दिया विचारण न्यायालय में इनके पिता पक्षकार थे इन्होने 96 सी.पी. सी. का आवेदन पेश नही किया है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक एवं अनावेदक के विरूद्व विवादित भूमि के अधिकारिता को लेकर मूल वाद लम्बित है विचारण न्यायालय ने स्पष्ट अंकित किया है कि हक हकुक के सम्बंध में निर्णय दावे के विधिवत सुनवाई के पश्चात होना है उभयपक्ष के मध्य विवाद ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु को विवेचित कर निर्णय पारित किया है

अपीलांट विचारण न्यायालय में पक्षकार नही था अपीलांट ने धारा 96 सी. पी.सी. का आवेदन प्रस्तुत नही किया अपीलांट का आवेदन धारा 5 में भी कानूनन प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण नही दिया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने, धारा 96 का आवेदन नही होने एवं गुणावगुण पर किये गये विवेचन से सारहीन पाई जाती है फलस्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/X/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर